1 विद्युत परियोजनाओं की क्षमता का उपयोग

1641. **श्री राज मोहिन्दर सिंह :** क्या विद्युत मंत्री 24.2.99 को राज्य सभा में अतरांकित प्रश्न 254 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थापित क्षमता का 90% से 100% तक उपयोग करने वाली 60% से 90% तक उपयोग करने वाली 40% से 60% तक तथा 40% से नीचे क्षमता का उपयोग करने वाली परियोजनाओं की संख्या अलग-अलग कितनी कितनी है तथा इनमें से प्रत्येक वर्ग द्वारा वर्ष भर में कितनी कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमार मंगलम) : समुपयोजन प्रतिशतता और औसत वार्षिक उत्पादन सहित ताप विद्युत, जल विद्युत और नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	समुपयोजन 90 से 100%	60 से 90%	40 से 60%	40% से नीचे
1.	ताप विद्युत				
	(क) कोयला आधारित संख्या	3	39	18	20
	औसत वार्षिक उत्पादन 1997-98 (मि.यू.)	8051	5199	2022	360
	(ख) गैस/डीजल केन्द्र संख्या	14	10	1	
	औसत वार्षिक उत्पादन 1997-98 (मि.यू.)	1797	1047	179	34
2.	जल विद्युत संख्या	82	38	10	3
	औसत वार्षिक उत्पादन 1997-98 (मि.यू.)	639	474	111	4
3.	न्यूक्लीय विद्युत संख्या	-	5	-	-
	औसत वार्षिक उत्पादन	-	2028	-	-

कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रो की समुपयोजन प्रतिशतता इन युनिटों के संयंत्र भार अनुपात के तौर पर ली गई है। तथापि, गैस और जल आधारित केन्द्रों की समुपयोजना लक्ष्यों की तुलना में उनके वास्तविक उत्पादनों के तौर पर है।

सीपट में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की एक परियोजना की स्थापना

1642. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय मध्य प्रदेश के विलासपुर जिले के सीपट क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की एक परियोजना की स्थापना कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी कर ली जाएगी, और

(ग) क्या सरकार ने संयंत्र की स्थापना से पहले मनुष्यों, पक्षियों जानवरों और पेडों पर राख के संभावित नुकसान का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो इससे सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी.आर.कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी प्रभाव अध्ययन के आधार पर परियोजना को फरवरी, 1999 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए एनटीपीसी के प्रक्रियाधीन है। 2000 मे.वा. परियोजना की प्रथम यूनिट (500 मे.वा.) के निवेश अनुमोदन की तारीख से 56 महीनों में और तत्पश्चात् प्रत्येक परवर्ती यूनिटी को महीनों के अंतराल पर चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्ते रखी हैं:-

(i) राख कुड की अभिकल्पना उड़ीसा स्थित तालचेर ताप विद्युत परियोजना के अनुरूप होनी चाहिये। अप्रचालनीय समुद्रतल (लैगुन) मे पृथ्वी की सतह/तलीय राख को राख छोड़े जाने वाले क्षेत्र में फैला देना चाहिये ताकि इस प्रयोजनार्थ कोयला प्रहस्तन और संयंत्र के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जल का नियमित छिड़काव सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

उड़ती हुई धूल को नियंत्रित किया जा सके।

(ii) कम से कम 99.8 की दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसीपिटेटर स्थापित किया जाना चाहिये और यह सूनिश्चित किया जाना चाहिये कि विवित्त निस्सरण (पार्टिक्युलेट एमिशन) निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो।

(iii) 215 एकड़ क्षेत्र से वन रोपण किया जाना चाहिये और इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिये। 1500-2000 वृक्ष प्रति हैक्टेयर के मानदंड का अनुपालन किया जाना चाहिए।

परियोजना का कार्यान्वयन करते हुए एनटीपीसी परियोजना से जनित राख के नियंत्रण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उस स्थान के वनस्पति और जीव-जन्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत वितरण के लिए विशेषज्ञ समिति

1643. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत प्रसारण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के कार्य के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है,

(ख) यदि हां, तो इस समिति के संघटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है,

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में समिति द्वारा सुझाये गये निबंधन शर्तें तथा निदेश क्या है, और

(ड़) यदि नहीं तो, समिति द्वारा प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर.कुमारमंगलम) : (क) से (ड़) जी, हां। पारेषण को एक विशिष्ट गतिविधि बमाने को प्रावधान करने वाले विद्युत नियमों के संशोधनों पर सिफारिशें करने के लिए श्री डी. शंकरागुरूस्वामी की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यो में पारेषण परियोजनाओं की आयोजना और अनुमोदन के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और परिवर्तनों का सुझाव देना यदि कोई हों तथा दूसरे तत्संबंधी दिशा निर्देशों का सुझाव देना शामिल है। समिति ने जुलाई 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सरंचना निम्नानुसार थी :

1.	श्री डी. शंकरागुरू स्वामी, पूर्व अध्यक्ष, विद्युत वित्त निगम	अध्यक्ष
2.	श्री जी एस राजामणि सदस्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	सदस्य
3.	श्री के रामानाथन सेवा निवृत्त सदस्य (पीएस) (सीईए)	सदस्य
4.	श्री एम. वी. डेकने पूर्व सदस्य, एमएसईबी	सदस्य
5.	श्री अशोक हराने आईएलएफएस, बम्बई	सदस्य
6.	श्री भानु भूषण, कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग) (पावरग्रिड)	सदस्य सचिव

समिति की सिफारिशों के आधार पर पोरषण परियोजनाओं के उन्नय हेतु विधिक स्वरूप स्थापित किया गया है। बिजली कानून (संशोधन) अधिनियम, 1998, की अधिनियम सं0 22 में अधिनियमित कर दिया गया है जिससे भारतीय बिजली अधिनियम और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन हुआ है।

Power tariff for Agricultural, Industrial and Domestic Consumers

1644. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the State-wise power tariff, separately, for agricultural, industrial and domestic consumers;

(b) how these compare with those of last five years;

(c) whether farmers in Maharashtra have stopped paying electricity charges; and

(d) how this has affected the finances of MSEB?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI PR. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) Statewise Estimated Average Rates of Electricity for Agriculture, Industry and Domestic Consumers as on 1.3.1999 and 1.4.1994, 1.4.1995, 1.4.1996. 1.4.1997 &